भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1446

मंगलवार, 28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्टअप इंडिया पहल

1446. श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह:

श्री बलभद्र माझी:

श्री आलोक शर्मा:

डॉ. राजकुमार सांगवान:

श्री पी. सी. मोहन:

श्री अमर शरदराव काले:

श्री मनोज तिवारी:

श्रीमती कमलजीत सहरावत:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त सक्रिय स्टार्टअप संस्थाओं की कुल संख्या कितनी है और देश में ऐसे स्टार्टअप की ओडिशा के नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) नए अधिसूचित गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के अनुपालन के लिए उन्नत की गई केंद्रीय परीक्षण सुविधाओं के क्षमता उपयोग का डेटा क्या है और इन सुविधाओं से उद्यमियों और उद्योगों को कर्नाटक तथा नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य-वार किस प्रकार लाभ मिल रहा है;

(ग) क्या स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (एसआईएसएफएस) देश भर के स्टार्टअप्स के लिए शुरुआती चरण के वित्तपोषण सहायता के एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभरी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले स्टार्टअप्स की कर्नाटक तथा नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) सरकार द्वारा नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश में स्टार्टअप्स, इनक्यूबेशन सुविधाओं, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं;

(ङ) कर्नाटक में नए अधिसूचित गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अनुपालन हेतु उन्नत की गई उपलब्ध भारतीय मानक ब्यूरो की परीक्षण सुविधाओं की संख्या कितनी है और उनकी क्षमता का कितना उपयोग हुआ हैं;

(च) बेंगलुरु में सी-कैंप जैसे इनक्यूबेटरों के माध्यम से एसआईएसएफएस के अंतर्गत कर्नाटक को स्टार्टअप्स के लिए कितनी निधि संवितरित की गई हैं; और

(छ) केंद्र सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में कर्नाटक की अपनी स्टार्टअप नीति 2025-30 और एलिवेट कार्यक्रम को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरूआत 16 जनवरी 2016 को की गई थी, जिसका उद्देश्य नवप्रयोग, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और देश के स्टार्टअप ईकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत ईकोसिस्टम का निर्माण करना था।

30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा 2,40,092 इकाईयों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है। 30 जून 2026 तक स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त इकाईयों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध**-I में दिया गया है।

विशेष रूप से ओडिशा राज्य में, 30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार डीपीआईआईटी द्वारा 4,123 इकाईयों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है। इनमें से, 30 जून 2026 तक नबरंगपुर में 16 इकाईयों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है।

(ख): भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) केवल अपनी अनुरूपता मूल्यांकन स्कीमों के तहत कवर किए गए उत्पादों के परीक्षण के लिए अपनी प्रयोगशालाओं की स्थापना और उन्नयन करता है, जिसमें गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के तहत लाए गए उत्पाद भी शामिल हैं। ये प्रयोगशालाएं प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुसार उत्पादों के अनुरूपता मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करती हैं, जिससे विनिर्माताओं, उद्यमियों और उद्योगों को बीआईएस प्रमाणन प्राप्त करने और लागू गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है। बीआईएस प्रयोगशालाओं और बीआईएस-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची **अनुबंध-II** के रूप में संलग्न है।

वर्तमान में, ओडिशा के नबरंगपुर जिले में कोई बीआईएस प्रयोगशाला या बीआईएस-मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला नहीं है। हालांकि, नबरंगपुर और आस-पास के क्षेत्रों के विनिर्माता और उद्यमी, परीक्षण के स्वीकृत व्यक्तिगत दायरे के आधार पर, अन्य जिलों/राज्यों में स्थित किसी भी बीआईएस प्रयोगशालाओं या बीआईएस-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

(ग): स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) पूरे भारत में इन्क्यूबेटरों के माध्यम से प्रारंभिक चरण के पात्र स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता को सक्षम करने के लिए शुरू की गई थी। 30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार, स्कीम के तहत 219 इन्क्यूबेटरों का चयन किया गया है और इन चयनित इन्क्यूबेटरों के लिए 945 करोड़ रुपए का पूरा कोष प्रतिबद्ध किया गया है। इसके अलावा, अनुमोदित इन्क्यूबेटरों ने 30 जून 2026 तक 706.33 करोड़ रुपए की कुल अनुमोदित फंडिंग के साथ स्कीम के तहत सहायता के लिए कुल 4,245 स्टार्टअप का चयन किया है। स्कीम के तहत चयनित इन्क्यूबेटरों द्वारा सहायता प्राप्त स्टार्टअप का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** के रूप में संलग्न है।

इसके अलावा, विशेष रूप से ओडिशा राज्य में, 30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार अनुमोदित इन्क्यूबेटरों ने 18.98 करोड़ रुपए की कुल स्वीकृत फंडिंग के साथ स्कीम के तहत सहायता के लिए कुल 166 स्टार्टअप का चयन किया है। विशेष रूप से नबरंगपुर में, 30 जून 2026 तक 15 लाख रुपए के स्वीकृत वित्त पोषण के साथ चयनित इनक्यूबेटर द्वारा 1 स्टार्टअप को सहायता प्रदान की गयी है।

(घ): सरकार देश में स्टार्टअप, इनक्यूबेशन सुविधाओं, उद्यमिता और नवप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय कर रही है। ऐसे उपायों का विवरण **अनुबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

(ङ) : कर्नाटक राज्य में, 1 बीआईएस प्रयोगशाला और 42 बीआईएस मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं हैं, जो गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के तहत लाए गए उत्पादों सहित बीआईएस अनुरूपता मूल्यांकन स्कीमों के तहत कवर किए गए उत्पादों के परीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। ये प्रयोगशालाएं अपने अनुमोदित दायरे के आधार पर स्कीम के तहत अनुरूपता मूल्यांकन के लिए उत्पादों के परीक्षण की सुविधा प्रदान करती हैं। हालांकि, राज्य के विनिर्माता और उद्यमी, अन्य राज्यों में स्थित परीक्षण के अनुमोदित व्यक्तिगत दायरे के आधार पर किसी भी बीआईएस प्रयोगशालाओं या बीआईएस-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

(च): विशेष रूप से कर्नाटक राज्य में, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) के अंतर्गत अनुमोदित इन्क्यूबेटरों ने स्कीम के तहत कुल 104.87 करोड़ रुपए की स्वीकृत फंडिंग से सहायता प्रदान करने के लिए कुल 542 स्टार्टअप का चयन किया है, जिसमें से 30 जून, 2026 तक स्टार्टअप्स को 79.08 करोड़ रुपए संवितरित किए जा चुके हैं।

विशेष रूप से, एसआईएसएफएस के तहत, सेल्युलर और मॉलिक्यूलर प्लेटफार्म केंद्र (सी-कैंप) ने स्कीम के तहत सहायता के लिए 4.55 करोड़ रुपए की कुल स्वीकृत फंडिंग के साथ 13 स्टार्टअप का चयन किया है, जिनमें से 30 जून 2026 तक स्टार्टअप्स को 3.45 करोड़ रुपए संवितरित किए जा चुके हैं। स्कीम

के तहत स्टार्टअप्स को वित्त पोषण महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल करने के आधार पर किस्तों में संवितरित किया जाता है।

(छ): स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत प्रयासों के परिणामस्वरूप, 30 जून 2026 तक कर्नाटक राज्य से डीपीआईआईटी द्वारा कुल 24,026 इकाईयों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है। कर्नाटक राज्य के ऐसे स्टार्टअप ने 30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार, 2.58 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं। इसके अलावा, 11,400 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक/भागीदार है।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार, कर्नाटक राज्य में स्थित स्टार्टअप्स सहित देश भर में स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के लिए लगातार विभिन्न प्रयास करती है। स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) जैसी प्रमुख स्कीमें उनके व्यापार चक्र के विभिन्न चरणों में सभी क्षेत्रों में स्टार्टअप को सहायता प्रदान करती हैं।

30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार, एफएफएस के तहत सहायता प्राप्त वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) ने कर्नाटक के 460 से अधिक स्टार्टअप में 8,900 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। एसआईएसएफएस के तहत, सहायता प्राप्त इन्क्यूबेटरों ने कर्नाटक के 540 से अधिक स्टार्टअप को 100 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। सीजीएसएस के तहत, कर्नाटक के स्टार्टअप्स को 150 करोड़ रुपए से अधिक के 60 से अधिक ऋणों की गारंटी दी गई है।

इसी प्रकार, कर्नाटक स्टार्टअप नीति 2025-2030, स्टार्टअप इंडिया पहल द्वारा प्रदान किए गए सहयोग पर आधारित है और इसमें स्टार्टअप्स को उनके पूरे जीवनचक्र में सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रमुख कार्यक्रम यानी आइडिएशन, नवाचार और प्रोटोटाइप से इन्क्यूबेशन, व्यावसायीकरण, स्केलिंग और बाजार में विस्तार शामिल हैं।

एलिवेट जैसे प्रमुख कार्यक्रम, क्षेत्रीय स्टार्टअप के लिए एलिवेट एस्पायर, महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए एलिवेट शक्ति और एससी/एसटी उद्यमियों के लिए एलिवेट उन्नति जैसे विशेष ट्रैक के साथ स्टार्टअप्स को 50 लाख रुपए तक का सहायता अनुदान प्रदान करते हैं।

हाल ही में शुरु किया गया एलिवेट नेक्स्ट कार्यक्रम विशेष रूप से डीप टेक स्टार्टअप पर केंद्रित है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), बायोटेक और उन्नत प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले उद्यमों को लक्षित सहायता प्रदान करता है, जिससे स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत डीप टेक नवप्रयोग पर जोर दिया जाता है।

अनुबंध-I

दिनांक 28.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1446 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार, डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त इकाईयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त इकाईयों की संख्या**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	108
आंध्र प्रदेश	4,707
अरुणाचल प्रदेश	102
असम	2,351
बिहार	5,527
चंडीगढ़	740
छत्तीसगढ़	2,587
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	102
दिल्ली	22,336
गोवा	861
गुजरात	21,019
हरियाणा	12,482
हिमाचल प्रदेश	898
जम्मू और कश्मीर	1,628
झारखंड	2,304
कर्नाटक	24,026
केरल	9,092
लद्दाख	25
लक्षद्वीप	3
मध्य प्रदेश	8,194
महाराष्ट्र	41,440
मणिपुर	295
मेघालय	106
मिजोरम	78

नागालैंड	131
ओडिशा	4,123
पुडुचेरी	263
पंजाब	2,708
राजस्थान	8,783
सिक्किम	21
तमिलनाडु	15,774
तेलंगाना	13,622
त्रिपुरा	233
उत्तर प्रदेश	23,678
उत्तराखंड	1,970
पश्चिम बंगाल	7,775

अनुबंध-II

दिनांक 28.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1446 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

बीआईएस प्रयोगशालाओं और बीआईएस-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**बीआईएस प्रयोगशालाओं और बीआईएस मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाओं की संख्या**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2
आंध्र प्रदेश	15
अरुणाचल प्रदेश	1
असम	10
बिहार	9
चंडीगढ़	2
छत्तीसगढ़	6
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1
दिल्ली	77
गोवा	2
गुजरात	49
हरियाणा	67
हिमाचल प्रदेश	7
जम्मू और कश्मीर	7
झारखंड	12
कर्नाटक	43
केरल	17
मध्य प्रदेश	20
महाराष्ट्र	97
मेघालय	1
नागालैंड	1
ओडिशा	17
पुडुचेरी	1
पंजाब	29
राजस्थान	33
सिक्किम	1
तमिलनाडु	58
तेलंगाना	31
त्रिपुरा	2
उत्तर प्रदेश	102
उत्तराखंड	15
पश्चिम बंगाल	32

अनुबंध-III

दिनांक 28.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1446 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

30 जून, 2026 की स्थिति के अनुसार, स्कीम के तहत चयनित इन्क्यूबेटरों से सहायता प्राप्त स्टार्टअप का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है-

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	**चयनित इनक्यूबेटरों से सहायता-प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या**	**चयनित इन्क्यूबेटरों द्वारा स्टार्टअप्स को स्वीकृत निधियां (करोड़ रुपए में)**
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1	0.040
आंध्र प्रदेश	99	13.965
अरुणाचल प्रदेश	2	0.300
असम	52	7.479
बिहार	61	10.255
चंडीगढ़	19	3.240
छत्तीसगढ़	30	3.896
दिल्ली	293	50.577
गोवा	29	4.355
गुजरात	294	51.686
हरियाणा	203	34.720
हिमाचल प्रदेश	26	4.220
जम्मू और कश्मीर	22	3.960
झारखंड	22	3.945
कर्नाटक	542	104.869
केरल	102	17.336
मध्य प्रदेश	152	22.574
महाराष्ट्र	665	117.318
मणिपुर	9	1.100
मेघालय	3	0.340
मिजोरम	9	1.800
नागालैंड	34	5.070
ओडिशा	166	18.977
पुडुचेरी	8	1.206
पंजाब	81	14.226
राजस्थान	169	27.555
सिक्किम	2	0.200

तमिलनाडु	450	69.159
तेलंगाना	279	50.549
उत्तर प्रदेश	327	47.038
उत्तराखंड	32	5.290
पश्चिम बंगाल	62	9.085

अनुबंध-IV

दिनांक 28.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1446 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

1. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने अपने स्वायत्त संगठनों, नामत: राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) के माध्यम से समाज के सभी वर्गों में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहलें शुरू की हैं। इन पहलों में स्वावलंबिनी कार्यक्रम, उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी), उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी), प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन), उत्तर-पूर्व क्षेत्र की शैक्षणिक संस्थाओं में उद्यमिता विकास केंद्र (ईडीसी), धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (दाजगुआ), प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम (पीएम एसजीएमबीवाई योजना) और उचित दर वाली दुकान के स्वामियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल हैं।

2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं/इच्छुक उद्यमियों को स्वरोजगार या उद्यमिता को करियर विकल्पों में से एक के रूप में विचार करने के लिए प्रेरित करना है।
3. नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) भारतीय युवाओं के बीच अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) और सामुदायिक इनोवेटर फैलोशिप (सीआईएफ) जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से नवप्रयोग और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (एआईसी) इन्क्यूबेशन सुविधाएं और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर (एसीआईसी) एआईएम के तहत स्थापित किए गए हैं ताकि अभिनव स्टार्टअप व्यवसायों को बढ़ावा दिया जा सके तथा स्टार्टअप और नवप्रयोग ईकोसिस्टम के संबंध में देश में इन सेवाओं को न प्राप्त करने वाले/अल्प-सेवित क्षेत्रों को सेवा प्रदान की जा सके।
4. शिक्षा मंत्रालय का नवप्रयोग प्रकोष्ठ (एमआईसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) नवप्रयोग और शैक्षणिक संस्थानों में उद्यमिता को बढ़ावा देता है।
5. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा मेरा युवा भारत (माई भारत) नामक स्वायत्त निकाय की स्थापना जैसी युवा-केंद्रित पहलें शुरू की गई हैं, इसका उद्देश्य अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रमों (ईएलपी), स्वयंसेवा के अवसरों, मेंटरशिप कार्यक्रम आदि के माध्यम से युवा विकास और युवाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक संस्थागत तंत्र प्रदान करना है।
6. रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवप्रयोग स्कीम (आईडीईएक्स) और आईडीईएक्स के साथ अभिनव प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी (एडीआईटीआई)

रक्षा और एयरोस्पेस में स्टार्टअप को शामिल करके नवप्रयोग और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।

7. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान, विकास और नवप्रयोग (आरडीआई) स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, डीएसटी, युवाओं के बीच नवप्रयोग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नवप्रयोग के विकास और उपभोग के लिए राष्ट्रीय पहल (निधि) को लागू कर रहा है। इस पहल में निधि-प्रयास (प्रोटोटाइप अनुदान सहायता), निधि-ईआईआर (एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस फैलोशिप), निधिआईटीबीआई (टियर-II और टियर-III क्षेत्रों में समावेशी टीबीआई) शामिल हैं। डीएसटी राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम) को भी लागू कर रहा है, जिसके तहत चार विषयगत केंद्र (टी-हब) स्थापित किए गए हैं।
8. अनुसंधान नैशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) ने मिशन-मोड में प्राथमिकता-संचालित, समाधान-केंद्रित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाईइम्पैक्ट एरियाज (महा) कार्यक्रम शुरू किया है।
9. जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने बायोनेस्ट (बायोइनक्यूबेटर नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप फॉर स्केलिंग) और ई-युवा (नवप्रयोग के अनुसंधान कार्यों में भाग लेने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करना) स्कीमों के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन और प्री-इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए हैं।
10. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्टार्टअप ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जेनेसिस (जेन-नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स) स्कीम, टाइड 2.0 (टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स) स्कीम और इंडियाएआई मिशन जैसी पहलें कर रहा है।
11. ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत, दीनदयाल अंत्योदय स्कीम-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) के माध्यम से गैर-कृषि आजीविका क्षेत्र में छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उनके परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान करता है।
12. कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू), भारत सरकार वर्ष 2018-19 से राष्ट्रीय कृषि विकास स्कीम (आरकेवीवाई) के तहत "नवप्रयोग और कृषि-उद्यमिता विकास" कार्यक्रम लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश में वित्तीय सहायता प्रदान करके और एक इन्क्यूबेशन ईकोसिस्टम को बढ़ावा देकर नवप्रयोग और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
13. सरकार स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत विभिन्न उपाय कर रही है। प्रमुख स्कीमों नामत: स्टार्टअप्स हेतु निधियों का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम

(सीजीएसएस) सभी क्षेत्रों के स्टार्टअप को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती है। सरकार राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार, नवप्रयोग सप्ताह और तेजस (ट्रांस्फार्मिंग एंटरप्रेन्योरियल जर्नी एक्रास स्टेट्स एण्ड डिस्ट्रिक्ट्स) सहित समय-समय पर कार्यक्रमों का भी कार्यान्वयन करती है, जो गैर-मेट्रो और ग्रामीण स्टार्टअप ईकोसिस्टम सहित स्टार्टअप ईकोसिस्टम के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार स्टार्टअप महाकुंभ जैसी ईकोसिस्टम आधारित पहलों को भी प्रोत्साहित करती है और उनको सहायता प्रदान करती है जो हितधारकों के लिए नेटवर्क स्थापित करने और सहयोग बनाने हेतु एक जीवंत मंच के रूप में काम करते हैं। बाजार पहुंच में सुधार और सार्वजनिक खरीद को सक्षम करने की पहल भी स्टार्टअप्स को अपने व्यवसायों में वृद्धि करने और स्केलिंग अप में सहायता करती है। सरकार ने ईज़ ऑफ डूईंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें व्यापार शुरू करने, पूंजी जुटाने और अनुपालन बोझ को कम करना शामिल है ताकि विनियामक वातावरण को सरल और अनुकूल कारोबारी माहौल बनाया जा सके। मेंटरशिप, अवसंरचना तक पहुंच, संसाधनों और ज्ञान को साझा करने, बाजार संपर्क में सहायता और निवेशकों से जुड़ने के माध्यम से स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के लिए कॉरपोरेट्स को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यकलाप भी शुरू किए गए हैं।

14. अंतरराष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ करने और भारतीय स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक बाजार पहुंच को सक्षम करने के लिए, सरकार ने **भारत इनोवेट्स 2026** और **वीवाटेक 2026** जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नवप्रयोग प्लेटफार्मों में स्टार्टअप्स की भागीदारी को सुगम बनाया है। भारत-फ्रांस नवप्रयोग वर्ष के भाग के रूप में नीस, फ्रांस में आयोजित भारत इनोवेट्स 2026 ने भारतीय स्टार्टअप्स को नवप्रयोग को प्रदर्शित करने, 1,350 से अधिक बी2बी बैठकों में भाग लेने और वैश्विक भागीदारों के साथ 50 से अधिक सहयोग गठबंधन करने में सक्षम बनाया है, जिससे स्टार्टअप एक्सीलरेशन, अनुसंधान साझेदारी, प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण और बाजार पहुंच के अवसर पैदा हुए हैं। इसी तरह, वीवाटेक 2026 में, जहां भारत ने 80 से अधिक डीप-टेक स्टार्टअप के अपने अब तक के सबसे बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ एआई कंट्री पार्टनर के रूप में भाग लिया, भारतीय स्टार्टअप ने उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नवप्रयोगों का प्रदर्शन किया और वैश्विक निवेशकों, प्रौद्योगिकी अग्रणियों और व्यवसायों के साथ जुड़े, सीमा पार सहयोग को मजबूत किया तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार के अवसरों का विस्तार किया।
